

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
मांग संख्या 7
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
	29.81	22.10	51.91	33.67	23.10	56.77	34.22	24.13	58.35	
	25.19	62.90	88.09	21.33	272.90	294.23	20.78	230.07	250.85	
	55.00	85.00	140.00	55.00	296.00	351.00	55.00	254.20	309.20	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.03	5.31	5.34	0.03	5.31	5.34	0.43	5.66	6.09
उद्योग										
पेट्रो-रसायन उद्योग										
2. सेन्दल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी)	2852	5.00	3.38	8.38	3.00	3.38	6.38	10.00	3.38	13.38
3. असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	2852	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
रासायनिक और भेषज उद्योग										
4. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	2852	...	7.00	7.00	...	5.18	5.18	...	4.45	4.45
5. कीटनाशी निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान	2852	3.50	...	3.50	2.36	...	2.36	3.58	...	3.58
6. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान	2852	15.07	3.44	18.51	15.07	3.44	18.51	12.00	7.42	19.42
7. रासायनिक अस्त्र सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी)	2852	0.05	0.03	0.08	0.05	0.03	0.08	0.05	0.03	0.08
8. राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	2852	...	2.90	2.90	...	2.72	2.72	...	3.15	3.15
9. औषधीय निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस)	2852	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
10. भेषज अनुसंधान और विकास कार्यक्रम (पीआरडीपी)	2852	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
11. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	2852	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	2.40	...	2.40
12. इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि.	2852	7.00	3.00	10.00
जोड़ - उद्योग		24.28	16.79	41.07	28.14	17.79	45.93	28.29	18.47	46.76
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिये एकमुश्त प्रावधान	2552	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50
14. लोक उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण										
14.01 स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	6857	...	3.20	3.20	...	3.20	3.20	...	1.92	1.92
14.02 बंगाल कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	6857	0.01	0.01
14.03 बंगाल इम्युनिटी लि.	6857	...	5.70	5.70	...	5.70	5.70	...	3.42	3.42
14.04 इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि.	6857	...	52.00	52.00	...	263.00	263.00	...	211.22	211.22
14.05 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि. (पी.सी.एल)	6856	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00	...	0.50	0.50
14.06 हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि. (एच.ए.एल.)	6857
14.07 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. (एच.आई.एल.)	6857	13.00	13.00
जोड़		...	62.90	62.90	...	272.90	272.90	...	230.07	230.07
15. सरकारी उद्यमों में निवेश	4856
	4857	4.03	...	4.03	2.60	...	2.60	2.53	...	2.53
	6857	21.16	...	21.16	18.73	...	18.73	18.25	...	18.25
जोड़		25.19	...	25.19	21.33	...	21.33	20.78	...	20.78
कुल जोड़		55.00	85.00	140.00	55.00	296.00	351.00	55.00	254.20	309.20

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
		बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	
(करोड़ रुपए)											
पेट्रो-रसायन उद्योग											
15.01	इंडियन पेट्रो रसायन निगम लि.	12856	...	115.00	115.00	
15.02	पेट्रोफिल्स कोओपरेटिव लि.	12856	
अन्य निकाय/संस्थाएं (सीआईपीईटी, असम)											
		12856	5.01	24.50	29.51	3.01	...	3.01	10.01	29.47	39.48
जोड़-पेट्रो-रसायन उद्योग											
			5.01	139.50	144.51	3.01	...	3.01	10.01	29.47	39.48
रसायन तथा भेषज उद्योग											
15.03	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.	12857	9.10	15.00	24.10	9.10	4.42	13.52	7.75	14.61	22.36
15.04	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि.	12857	8.06	...	8.06	5.20	...	5.20	5.00	...	5.00
15.05	इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15.06	हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि.	12857	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
15.07	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	5.00	10.00
15.08	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15.09	बंगाल इन्सुलिन लि.	12857	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15.10	एन.आई.पी.ई.आर	12857	15.07	3.00	18.07	15.07	...	15.07	12.00	3.51	15.51
अन्य निकाय/संस्थाएं (आईपीएफटी, आरईएनपीएपी, सीआईपीएस, पीआरडीपी, सीपीडीएस)											
		12857	4.15	...	4.15	3.01	...	3.01	6.28	...	6.28
जोड़-रसायन तथा भेषज उद्योग											
			44.41	18.00	62.41	39.41	4.42	43.83	39.06	23.12	62.18
जोड़											
			49.42	157.50	206.92	42.42	4.42	46.84	49.07	52.59	101.66
ग. आयोजना परिव्यय											
1.	पेट्रो रसायन उद्योग	12856	5.01	139.50	144.51	3.01	...	3.01	10.01	29.47	39.48
2.	रसायन और भेषज उद्योग	12857	49.96	18.00	67.96	51.96	4.42	56.38	44.56	23.12	67.68
3.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.43	...	0.43
जोड़											
			55.00	157.50	212.50	55.00	4.42	59.42	55.00	52.59	107.59

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी.):** केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना विशिष्ट प्रशिक्षण देने प्लास्टिक सामग्री का भौतिक परीक्षण के लिये की गई थी अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, हल्द्वी, इफाल, लखनऊ, मैसूर, पटना और गुवाहाटी में 12 विस्तार केंद्रों की स्थापना की गई है।

4. **भोपाल गैस रिसाव आपदा:** इस व्यवस्था में कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय तथा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के मामलों का निर्णय करने के लिए स्थापित विभिन्न न्यायालयों के सचिवालय व्यय शामिल है। चालू बजट में अमरीकी डालर में प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि का आहरण करने पर सरकार द्वारा वहन की गई विनिमय हानि के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.पी.एफ.टी.):** यह सोसाइटी पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों के निर्माण संबंधी विकास में लगी है जो कि किसानों की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह संस्थान देश में कीटनाशक उद्योग की उन्नति के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

6. **राष्ट्रीय भेषजीय और शिक्षा अनुसंधान संस्थान (एन.आई.पी.ई.आर.):** यह परियोजना चंडीगढ़ के समीप एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में स्थापित की गई है। इस संस्थान का प्रयास भारत में भेषजीय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता को बढ़ावा देना और भारत में भेषजीय क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

7. **रासायनिक शस्त्र अभिसमय (सी.डब्ल्यू.सी.):** भारत रासायनिक शस्त्र अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले आरंभिक देशों में से एक है। अभिसमय के दायित्व को निभाने के लिए भारत में राष्ट्रीय प्राधिकरण नामक एक केन्द्रक अभिकरण स्थापित किया गया है। यह अभिकरण एककों का प्रयोग निरीक्षण, दोहरे प्रयोजनों वाले रासायनिक उद्योगों की गतिविधियों के अनुवीक्षण, उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था और रासायनिक शस्त्र अभिसमय के कार्यान्वयन में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन की मदद करता है।

8. **राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.):** वर्ष 1994 में घोषित नई औषधि नीति के एक भाग के रूप में, विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय गठित किया गया है, जो औषधि और फार्मूलेशन के मूल्य निर्धारण/संशोधन और अन्य संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह विनियंत्रित औषधियों और फार्मूलेशन की कीमतों का अनुवीक्षण भी करेगा और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबंधों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा।

9. **औषधीय निर्यात संवर्धन योजना (पी.ई.पी.एस):** औषधीय क्षेत्र भारत के औद्योगिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील क्षेत्र है। यह अनुदान निर्यात संवर्धन कक्ष द्वारा औषधियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त संगोष्ठियां/कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है।

10. **औषधीय अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम (पी.आर.डी.पी.):** टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार के हस्ताक्षरित होने से भारतीय उद्योग सन्निकट उत्पाद की एकस्व प्रणाली द्वारा उत्पन्न पेचीदा चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग भारत में औषधीय अनुसंधान के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाए।

11. **रसायन संवर्द्धन और विकास योजना (सी.पी.डी.एस):** भारतीय रसायन उद्योग को उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण के कारण पैदा हुई विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने और इसे विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के अनुरूप बनाने के लिए ताकि यह विश्वव्यापी बाजार में बहुराष्ट्रीय एवं अन्य बड़ी-बड़ी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धी बन सके। इस विभाग के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह निर्यात संवर्द्धन एवं प्रौद्योगिकी सहयोग आदि के लिए विभिन्न विचार-गोष्ठियों, कार्यशालाओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे।

13. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान।**

14. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** ये सरकारी उद्यमों को दिए गए ऋण के द्योतक हैं।

15. **सरकारी उद्यमों में निवेश:** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनकी

नई और पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋणों के लिए व्यवस्था की गई है। इन उद्यमों को बजटीय सहायता और आं.ब.बा.सं. का इक्विटी और ऋणवार ब्यौरा बजट खण्ड-1 में दिया गया है।

15.01 इंडियन पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड: 1969 में स्थापित यह देश का प्रथम सरकारी क्षेत्र का पेट्रो-रसायन काम्प्लैक्स है। इसे पेट्रोलियम फीड स्टॉक से सिंथेटिक, आरगेनिक, रसायन, प्लास्टिक, रेशे, मध्यवर्ती रेशे के विनिर्माण तथा वितरण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वर्ष 2002-2003 के दौरान इस कंपनी का निजीकरण कर दिया गया है।

15.02 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि.: यह भारत सरकार और बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर सहकारी समितियों का एक संयुक्त उद्यम है। यह समिति समापन के चरण में है।

15.03 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड: इस कम्पनी का निगमन औषधियों, रंजक पदार्थों, रबड़ रासायनिक पदार्थों और लेमीनेट आदि के विनिर्माण के लिए आवश्यक रासायनिक मध्यवर्तियों का विनिर्माण करने के उद्देश्य से 1960 में किया गया था।

15.04 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड : यह कम्पनी 1954 में निगमित की गई थी और डी. डी. टी., मेलाथियान, बी. एच. सी. और एण्डोसल्फेन तकनीक तैयार करने के लिए इसके तीन कारखाने चल रहे हैं।

15.05 इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड : इस कम्पनी का निगमन 1961 में किया गया था जिसका प्रयोजन एंटीबियोटिक औषधियों, संश्लिष्ट

औषधियों तथा शल्यचिकित्सा के औजारों का निर्माण करने वाले तीन संयंत्रों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना है।

15.06 हिन्दुस्तान एंटीबियोटिक्स लिमिटेड : इस कम्पनी का निगमन 1954 में किया गया था जिसका उद्देश्य देश में जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करना तथा ऐसी औषधियों के आयात पर निर्भरता को कम करना था। इस कम्पनी की संयुक्त क्षेत्र वाली दो परियोजनाएं - महाराष्ट्र, कर्नाटक में एक-एक और तीसरी मणिपुर में है।

15.07 बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.(बीसीपीएल): इस कंपनी की चार विनिर्माण इकाईयां हैं जो कोलकाता में मनिकतला, 24 परगना (उत्तर) पं.बंगाल में पनिहती, मुंबई तथा कानपुर (उ.प्र.) में स्थित है। यह कंपनी सौंदर्य प्रसाधन तथा घरेलू उत्पादों के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, फ़ैरिक एलम, कई दवाएं तथा फार्मास्यूटिकल्स का विनिर्माण तथा विपणन करती है। घरेलू उत्पादों में प्रचलित उत्पादों में कैंथरिडीन केश तेल तथा लैम्प ब्रांड फिनाइल शामिल हैं।

15.08 स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड : इस कम्पनी का निगमन 1968 में हुआ था और यह मुख्यतः औषधि फार्मूलेशन के निर्माण कार्यों में लगी हुई है।

15.09 बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड : इस कम्पनी के दो विनिर्माणकारी एकक हैं - कलकत्ता तथा देहरादून में एक-एक, जो बड़ी मात्रा में औषधियों, फार्मूलेशन, सीरमों और वेक्सीनों का निर्माण करते हैं।